



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2012/चैत्र 13, 1934

No. 624]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2012/CHAITRA 13, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2012

क्र.आ. 711(अ).—फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, अप्रैल 2012 के दूसरे दिन को उस तिथि के रूप में निर्धारित करता है जिस तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 19, 20, 21 और 32 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 6/3/2010-बीओ-II]

आलोक निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2012

S.O. 711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the Central Government hereby appoints the 2nd day of April, 2012, as the date on which the provisions of Sections 19, 20, 21 and 32 of the said Act shall come into force.

[F.No. 6/3/2010-BO. II]

ALOK NIGAM, Jt. Secy.